

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 114/2019

दायरा दिनांक : 26.08.2019

**उनवान**

- 1- उग्र सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 2- शेर सिंह पुत्र श्री मुकुट सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 3- कमल सिंह पुत्र श्री मुकुट सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 4- श्रीमती भंवर सिंह पुत्री श्री मुकुट सिंह पत्नी श्री ऋषिराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 5- श्रीमती तंवर बाई विधवा पत्नी श्री जोरावर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 6- नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 7- कुलदीप सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 8- श्रीमती कमलेश पुत्री श्री जोरावर सिंह पत्नी श्रवण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 9- श्रीमती मधुर बाई पुत्री श्री जोरावर सिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांत



**बनाम**

- 1- नन्द सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू हाल निवासी मठ के पास, चरी घांट रोड़, बांरा तहसील बारां, जिला बारां
- 2- श्रीमती सुमित्रा बाई पुत्री श्री मदन सिंह, धर्म पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम राजगढ़, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) हाल निवासी मठ के पास, चरी घांट रोड़, बांरा तहसील बारां, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज.)

3- श्रीमती मान कंवर विधवा पत्नी श्री मदन सिंह, जाति राव राजपूत हाल निवासी मठ के पास, चरी घांट रोड़, बारा तहसील बारां, जिला बारां

4- भाग सिंह पुत्र श्री जादू सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-

4/1- नन्द सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/2- हिम्मत सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/3- बृजराज सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/4- विक्रम सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/5- राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/6- श्रीमती बदन कंवर विधवा पत्नी श्री धनराज, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/7- योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री धनराज सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/8- चन्द्र सिंह पुत्र श्री धनराज सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

5- मान सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम माल्याखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :-

5/1- लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री मान सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम माल्याखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़



(महेन्द्र लोका)  
शु-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
परम राजस्व अधिकारी प्राधिकारी  
कटा (राज.)

- 5/2- बबलू सिंह पुत्र श्री मान सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम माल्याखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 5/3- श्रीमती भंवर बाई विधवा पत्नी श्री मान सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम माल्याखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6- नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 6/1- राजसिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6/2- गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6/3- देशराज सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6/4- श्रीमती दयान बाई पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 7- श्रीमती चाह कंवर पुत्री श्री कल्याण सिंह विधवा पत्नी श्री अमर सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम पछाड़, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
- 8- अडीसाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 8/1- नन्दसिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8/2- मोहन सिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8/3- डूंगर सिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां



(महेन्द्र लोढ़ा)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेन राजस्व अधीन प्राधिकारी  
काटा (ज.ज.)

- 8/4- बहादुर सिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8/5- श्रीमती हरकंवर पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी श्री गोपाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 9- इन्द्रसाल सिंह पुत्र श्री करण सिज, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 10- महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदन लाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 11- दी स्टेट ऑफ राजस्थान

.... रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 113/2019

दायरा दिनांक : 26.08.2019

उनवान

- 1- उग्र सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 2- शेर सिंह पुत्र श्री मुकुट सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 3- कमल सिंह पुत्र श्री मुकुट सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 4- श्रीमती भंवर सिंह पुत्री श्री मुकुट सिंह पत्नी श्री ऋषिराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 5- श्रीमती तंवर बाई विधवा पत्नी श्री जोरावर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 6- नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 7- कुलदीप सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 8- श्रीमती कमलेश पुत्री श्री जोरावर सिंह पत्नी श्रवण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां



(अहेन्द्र लोका)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेम राजस्व अधिकारी  
कांटा (राज.)

- 9- श्रीमती मधुर बाई पुत्री श्री जोरावर सिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां .... अपीलांट

**बनाम**

- 1- नन्द सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू हाल निवासी मठ के पास, चरी घांट रोड़, बांरा तहसील बारां, जिला बारां
- 2- श्रीमती सुमित्रा बाई पुत्री श्री मदन सिंह, धर्म पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम राजगढ़, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) हाल निवासी मठ के पास, चरी घांट रोड़, बांरा तहसील बारां, जिला बारां
- 3- श्रीमती मान कंवर विधवा पत्नी श्री मदन सिंह, जाति राव राजपूत हाल निवासी मठ के पास, चरी घांट रोड़, बांरा तहसील बारां, जिला बारां
- 4- भाग सिंह पुत्र श्री जादू सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-

4/1- नन्द सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/2- हिम्मत सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/3- बृजराज सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/4- विक्रम सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/5- राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

4/6- श्रीमती बदन कंवर विधवा पत्नी श्री धनराज, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां



(महेन्द्र लोका)  
नू-प्रबन्ध अधिकारी

पदम राजसूय काल प्रदिकारी  
कोटा (राज.)

- 4/7- योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री धनराज सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां
- 4/8- चन्द्र सिंह पुत्र श्री धनराज सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा पोस्ट ढोटी, तहसील अटरू, जिला बारां
- 5- मान सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम माल्याखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 5/1- लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री मान सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम माल्याखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 5/2- बबलू सिंह पुत्र श्री मान सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम माल्याखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 5/3- श्रीमती भंवर बाई विधवा पत्नी श्री मान सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम माल्याखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6- नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 6/1- राजसिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6/2- गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6/3- देशराज सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6/4- श्रीमती दयान बाई पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ नरसिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़



(महेन्द्र लोका)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
 कोटा (राज.)

- 7- श्रीमती चाह कंवर पुत्री श्री कल्याण सिंह विधवा पत्नी श्री अमर सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम पछाड़, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
- 8- अडीसाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 8/1- नन्दसिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8/2- मोहन सिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8/3- डूंगर सिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8/4- बहादुर सिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8/5- श्रीमती हरकंवर पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी, श्री गोपाल सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 9- इन्द्रसाल सिंह पुत्र श्री करण सिज, जाति राव राजपूत, निवासी ग्राम बालाखेड़ा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 10- महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदन लाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां
- 11- दी स्टेट ऑफ राजस्थान

.... रेस्पोंडेंट

उपस्थित - श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से  
श्री ओम भारद्वाज एवं श्री अरविन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक  
रेस्पोंडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 24.03.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

(महेन्द्र लोका)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
मदन राजस्व अपील प्राधिकारी  
बोटा (राज.)



ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या - 52/2001 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.03.2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2004 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांत के पूर्व हक अधिकारी श्री उदयसिंह, श्री. मुकुट सिंह एवं श्री जोरावर सिंह ने रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 9 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील अटरू में आराजी खसरा नम्बर 381, 382, 383 एवं 385 की 12.22 हेक्टर स्थित हैं । इस भूमि के साबिक खसरा नम्बर 332, 333 एवं 334 थे जिसमें कल्याण सिंह पुत्र हरदेव सिंह का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी अडीसाल सिंह, इन्द्रपाल सिंह, नन्द सिंह, श्रीमती मानकंवर बाई एवं श्रीमती सुमित्रा बाई का 1/4 हिस्सा एवं श्री बोधसिंह का 1/4 हिस्सा था । उक्त शामलाती खाते की आराजी का दावा पेश करने के 50-60 वर्ष पूर्व सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका था तथा इस बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 334 पुराना रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 385 एवं रकबा 5.47 हेक्टर है श्री कल्याण सिंह जी के हिस्से में आया तथा इस भूमि को श्री कल्याण सिंह तन्हा काबिज होकर काश्त करने लगे एवं उनके देहावसान के उपरान्त उनके पुत्र नन्द सिंह एवं मानसिंह काश्त करने लगे । श्री नन्द सिंह एवं श्री मानसिंह ने दिनांक 23.05.1968 को उक्त भूमि अपीलांत के पूर्व हक अधिकारी श्री उदय सिंह, श्री मुकुट सिंह एवं श्री जोरावर सिंह को विक्रय कर कब्जा सँभला दिया था और तब से ही खरीददार उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा भूमि प्रबन्ध का परचा खरीदारान के नाम जारी किया किन्तु नन्दसिंह एवं मान सिंह ने श्री कल्याण सिंह का फौती नामान्तरकरण राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम खुलवा लिया एवं गलत तौर पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा गलत इन्द्राज के आधार पर इस भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करना चाहते हैं । इसलिए वादीगण को इस भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 385 रकबा 5.47 हेक्टर भूमि के बाबत इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं



(महेन्द्र लोका)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज.)

करें तथा इस भूमि का किसी को विक्रय नहीं करें । वादीगण का यह वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2004 को डिक्री कर दिया इस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2007 द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2004 निरस्त करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर वादीगण के वारिसान अपीलांट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील पेश की थी जिसका उन्वान उग्रसिंह वगैरा बनाम नरसिंह वगैरा एवं अपील संख्या 11430 सन् 2007 है । यह अपील वर्तमान में भी जैरकार है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 15.11.2019 नियत है इस अपील में दिनांक 13.12.2007 को ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्ड पीठ ने वादीगण अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर मौके एवं राजस्व अभिलेख की उक्त तारीख की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था जो वर्तमान में भी प्रभावशील है तथा इस स्थगन आदेश के कारण खसरा नम्बर 385 की भूमि अपीलांट के खाते दर्ज रही है । उक्त अपील के जैरकार रहते रेस्पोंडेंट ने आपस में साज करके परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही श्री नन्दसिंह, श्रीमती सुमित्रा बाई एवं श्रीमती मानकंवर ने अन्य रेस्पोंडेंट को प्रतिवादी बनाकर अन्य भूमि के साथ साथ खसरा नम्बर 385 की 5.47 हेक्टर भूमि का भी बंटवारे का वाद पेश कर उक्त भूमि का विभाजन करने की प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर ली जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है । रेस्पोंडेंट श्री नन्दसिंह, श्रीमती सुमित्रा बाई एवं श्रीमती मानकंवर ने अन्य रेस्पोंडेंट के विरुद्ध विभाजन आराजी का वाद पेश कर वादी एवं प्रतिवादी ने साज कर ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील अटरू की खसरा नम्बर 381, 382, 383 के साथ खसरा नम्बर 385 रकबा 5.47 हेक्टर भूमि बाबत भी विभाजन की डिक्री प्राप्त करने में त्रुटि की है । तत्कालीन खातेदार जिनके उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 हैं के मध्य काफी वर्षों पूर्व आपसी सहमति से विभाजन हो गया था तथा इस विभाजन में सहखातेदार कल्याण सिंह के हिस्से में आयी थी तथा कल्याण सिंह ही इस भूमि पर तन्हा काबिज होकर काश्त करते थे तथा उनके



(अडेक्टर लोका)  
 नृ-प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं  
 पञ्च सहायक अनील प्राधिकारी  
 कोटा (राज.)

देहावसान के उपरान्त उनके पुत्र एवं वारिस वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने लगे । भूमि खरीद करने एवं भूमि पर कब्जाक होने के कारण सैटलमेंट के दौरान उक्त खसरा नम्बर 385 रकबा 5.47 हेक्टर भूमि खरीददारान श्री उदयसिंह, श्री मुकुट सिंह एवं श्री जोरावर सिंह के खाते दर्ज कर दी गई । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 385 रकबा 5.47 हेक्टर अपीलांट के खातेदारी की भूमि थी तथा भूमि पर अपीलांट ही बहैसियत खातेदार काबिज थे इसलिए अपीलांट को पक्षकार बनाकर एवं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही प्रकरण में कार्यवाही अपेक्षित थी अपीलांअ को पक्षकार बनाये बिना पेश किया गया वाद मेंटेनेबल नहीं होने से त्रुटि योग्य है। अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना निर्णय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस आधार पर भी निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 385 रकबा 5.47 हेक्टर में रेस्पोंडेंट का किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। इस आधार पर भी इस भूमि के विभाजन बाबत दिया गया निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.03.2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2004 अपास्त किया जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.07.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पूर्वजों उदयसिंह ने रेस्पोंडेंट कम 1 से 9 के विरुद्ध घोषणा का दावा किया । न्यायालय हाजा के यहां अपील दिनांक 20.11.2007 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया । इसके बाद रेवेन्यु बोर्ड में अपील की । अपील जैरकार अपील संख्या 11430/2007 जिसमें 12.12.2020 को तारीख थी जिसमें स्थगन भी है । इसमें रेस्पोंडेंट ने बंटवारे का दावा किया जिसमें खसरा नम्बर 385 रकबा 5.47 हेक्टर भी शामिल की है । जबकि ये आराजी हमें बेचान कर चुके थे । मामला रेवेन्यु बोर्ड अजमेर में स्थगन आदेश दे रखा है इसको इन्होंने छिपा



(महेन्द्र लोका)  
 मू-प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
 कोटा (राज.)

लिया इसलिए हमने बंटवारे के दावे की अपील की है । हमें बिना सुने फैसला दिया । हमें ज्यों ही अपील की जानकारी हुई हमने अपील पेश कर दी । हमने मियाद अधिनियम की धारा 5 का जवाब नहीं दिया है । इनकी आपत्ति अपील मियाद बाहर होने की हो सकती है । बंटवारे की बात इनको पहले बतानी चाहिए यदि पहले बताते तो हमें जानकारी हो जाती । अतः अपील स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2007 (2) आर आर टी पेज 745, 2009 (1) आर आर टी पेज 467, 2013 (1) आर आर टी पेज 473, 2004 (2) आर आर टी पेज 768, 2015 डी एन जे (एस सी) पेज 592, 2018 (1) आर आर टी पेज 601 (एस सी) उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में 2004 की डिक्री की । न्यायालय हाजा ने 2007 को फैसला किया । धारा 53 का दावा खातेदारों के मध्य होता है । वादग्रस्त आराजी के बेचान का दस्तावेज कहाँ है । कल्याण सिंह का नामान्तरकरण हमारे नाम पर खुला । रेवेन्यु बोर्ड ने क्यों नहीं स्वीकार किया । ये उस समय पक्षकार नहीं थे । जमाबंदी में अंकन नहीं करवाया । पक्षकार खातेदार होते हैं ये नहीं थे । खरीद का दस्तावेज नहीं है । स्टे का जमाबंदी में अंकन नहीं है । 13 साल बाद अपील पेश की है जो अवधि बाधित है । इन्होंने युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दानों अपीले न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांट के द्वारा अपील में वर्तमान खसरा नम्बर 385 रकबा 5.47 हेक्टर का उल्लेख किया गया है और मुख्य रूप से अपीलांट का विवाद भी खसरा नम्बर 385 रकबा 5.47 हेक्टर की आराजी के बारे में ही प्रतीत होता है और अपीलांट द्वारा अपील में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि पक्षकारान के मध्य खसरा नम्बर 385 के बाबत विवाद राजस्व मण्डल, अजमेर में जैरकार है । विवादित आराजी के मामले में इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 20.11.2007 को स्वीकार की गई थी। जिसके विरुद्ध अपीलांट के द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील संख्या 11430/2007 जैरकार है, जिसमें राजस्व रिकार्ड एवं मौके की



(महिला लोका)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज.)

यथास्थिति के आदेश हो रहे हैं जिसकी प्रतियां भी अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के मामले में न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील जैरकार होने के कारण अन्तिम निर्णय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा ही किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील को इस स्टेज पर मेरिट पर कोई भी निर्णय दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय के उपरान्त ही इस अपील में अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णयानुसार इस पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

अतः दोनों अपील संख्या 114/2019 एवं 115/2019 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.03.2003 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 28.02.2004 यथावत रखे जाते हैं। दोनों अपीलें इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(महेन्द्र लोढ़ा)  
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा





## दावा बाबत


माह अपील व तारीख 10 माह 03 सन् 2021

हाजरी श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री ओम भारद्वाज एवं श्री अरविन्द सिंह हाडा  
अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोंडेंट  
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :-

अपीले अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक  
डिक्री दिनांक 11.03.2003 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 28.02.2004 यथावत रखे जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 24 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया ।



  
(महेन्द्र लोढा)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
कोटा (राज.)